न्यायालय ... थाना
भंवासिंह बनाम गोविंदप्रसाद
रु.प्र. 163

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 9/9/25 को पेश हों।

09/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 23.09.2025 को पेश हो।

23/09/2025

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी (प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी) ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वादपत्र भारी हर्जे के साथ खारिज फरमाने का निवेदन किया। वकील प्रतिपक्ष ने जवाब प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व जवाब प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 7 मूलसिंह का 1/2 हिस्सा की खातेदारी रही हैं तथा दाखा बेवा गंगासिंह के नाम उसकी मृत्यु होने के कारण उसके एक मात्र पुत्र सवाई सिंह पुत्र गंगासिंह प्रतिवादी सं0 6 के नाम विरासत का इन्तकाल स्वीकृत कर जमाबन्दी में 1/2 हिस्सा की खातेदारी सवाई सिंह पुत्र गंगासिंह के नाम दर्ज कर दी गयी तथा सवाई सिंह ने अपने 1/2 हिस्सा की उक्त भूमि को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 को जरिए रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 12.06.2002 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
विक्रय कर कब्जा जमीन सम्भला दिया इसके पश्चात सवाईसिंह के स्थान पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के हक में खातेदारी का इन्तकाल सं0 359 ग्राम दरीबा दिनांक 19.06.2002 को स्वीकार किया गया। वादीगण द्वारा पेशशुदा बैनामा के अनुसार गंगासिंह प्रतिवादी सं0 6 के पिता ने सम्वत 2017 को वादी भंवर सिंह को बेचान कर दी। लेकिन उक्त बैनामा पंजिकृत नही हैं। जिस कारण अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तथा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद विधि द्वारा वर्जित व पोषणीय नही होने पर प्रार्थी का प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:37:24 IST
Reason: SelfAttested